फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री रोशनलाल** विपक्षी :– **श्री मांगीलाल**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :– **106/16**

जीसीएमएस नम्बर :– **2016/00331**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.01.2026 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश डांगी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पेश कर वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विड्रो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विड्रो को पढकर अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई। चूंकि अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:56:15 IST
Reason: SelfAttested